

उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 20/2017/70/92-2-17-104जांच/2013
लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2017
कार्यालय-जाप

बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एवं शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में गम्भीर अनियमितता बरतने तथा शासकीय क्षति पहुचाये जाने आदि अनियमितताओं के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1865/92-1-16-104जांच/2013 दिनांक 23-04-2015 द्वारा श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया।

2- उक्त के क्रम में श्री के0के0 मिश्रा का बचाव उत्तर उनके पत्र संख्या-973/ग्रा0अ0वि0/विविध-स्पष्टीकरण/2015-16 दिनांक 30-05-2015 एवं पत्र सं0-4905/ग्रा0अ0वि0/विविध स्पष्टीकरण/2015-16 दिनांक 08-01-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। शासन में उपलब्ध संगत अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति-अधीक्षण अभियंता (मानी0) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन न किये जाने हेतु श्री के0के0 मिश्रा को निम्नवत "परिनिन्दित" करते हुए कारण बताओ नोटिस समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"बार्डर एरिया डेवलपमेंट योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा में गुलरा से पडवलिया जाने वाले मार्ग पर भैंसाही नाले पर निर्मित आर0सी0सी0 पुलिया एवं शिवपुरा नाले पर ककरदरी के पास निर्मित पुलिया के निर्माण में अनियमितताओं के फलस्वरूप रू0 93.07 लाख एवं रू0 18,78,901.00 की धनराशि की प्राक्कलन गठन एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु श्री के0के0 मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद सम्प्रति- अधीक्षण अभियंता (मानी0) कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 20/2017/70/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- श्री के०के० मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-
फैजाबाद सम्प्रति- कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र०,
लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था०-1) ग्रा०अ०वि०, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।